न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या: 15/19

कालूराम पुत्र गोमन राम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी चक 13 एसपीडी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज
3. उप पंजीयक सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता नगरपालिका, सूरतगढ़
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02.02.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 30.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न 172/2, 171/5, 184/4, 184/5 की 0.034 है. भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिये गये हैं।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक शिकायत प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 14(4) के तहत पेश किया गया था जिसमें अति. कलेक्टर सूरतगढ़ ने दिनाक 15.12.2014 को स्थगन आदेश जारी कर दिया था। उक्त स्थगन आदेश के विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 30.01.2019 को नामान्तकरण दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। उक्त आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा स्थगन जारी करवाने के पश्चात् सम्बन्धित तहसीलदार को दिया हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। इन्तकाल दर्ज करना एक सरसरी साक्ष्य है जिसके आधार पर कोई हक व अधिकार तय नहीं होते हैं। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलांट द्वारा पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी का पेश किया है जिसका जवाब रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया है। चूंकि अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

03.2019 को दर्ज कर ली गई थी एवं अपीलांट द्वारा ही शिकायत प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। ऐसी स्थिति में न्यायहित में 96सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

6. अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.01.2019 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2019 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर किया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाना उचित समझते हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट ने इस न्यायालय में रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया था जिसका निर्णय अभी आज ही किया गया है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला गंगानगर)

Scanned by CamScanner